अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कुलदीप सिंह **बनाम** राजपाल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 159 सन् 2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00246

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 में गांव के लोगों को अहातों के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिये गए है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आबादी भूमि को आगे बेचान करने की फिराक में है। जिससे प्रार्थी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि अप्रार्थी ताफैसला वाद चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी की स्वामित्व की भूमि है, इसके हर प्रकार से उपयोग एंव उपभोग का अप्रार्थी अधिकारी है। इसमें प्रार्थी किसी प्रकार की दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आधारहीन रूप से पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति सावित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)